


यालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
मीना बनाम विजय

म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है।</p> <p>अतः उभयपक्ष /अप्रार्थीगण को जयें अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26.4.22 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी हाल खसरा नम्बर 54 रकबा 0.6700हे0 वाके ग्राम देवता तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।</p> <p>क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 26.4.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(अलवर) </p>	

वकील ने नया स्वगम कर रखा है। मौका सिविल तहसीलवार से प्राप्त हुई शांति मिश्री। नवाक प्रार्थना पर पेश हुआ वास्तु अहम प्रार्थना पर दिनांक 27-4-22 को पेश हुआ

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

27-4-22 वकील पतनाराम डण्डा वास्तु अहम प्रार्थना पर 10-5-22 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

10-5-22 वकील पत्रकारान उपर। वाले बहस शोप
दिनांक 21.6-22 को पेश हों।

श

21-6-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 29-6-22
को पेश हो।

श
रीडर

29-6-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 3-8-22
को पेश हो।

श
रीडर

3-8-22 वकील पत्रकारान उपर। वाले बहस शोप
दिनांक 21.6-22 को पेश हों।

2-11-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब मुख्यमंत्री कार्यालय में।
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 14-11-22
को पेश हो।

श
रीडर

14-11-22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र का काका अरुण दाबरी
में खारिज किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र भी अरुण
दाबरी में खारिज किया जाता है। प्राण पत्र केवल सुमार
दोहर दाखिल लेख भण्डार हों।